राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.4(1)(312)पोषा/विविध/ICDS/2012/ 64398-430 जयपुर, दिनांक 17.5.16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– अकाल/बाढ़ की स्थिति के दौरान आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

राज्य में अकाल/बाढ़ की स्थिति के दौरान जान–माल एवं पर्यावरण को न्यूनतम हानि होना सुनिश्चित करने के लिए समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को नॉडल अधिकारी मनोनीत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि :–

1 मैट्रोलोजिकल विभाग से समन्व्य स्थापित कर मौसम की स्थिति पर सघन निगरानी रखी जावे।
2 अकाल प्रभावित क्षेत्रों में लाभान्वितों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सामग्री, पानी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
3 अकाल प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता हेतु भारतीय खाद्य निगम से निरन्तर समन्व्य रखा जावे।
4 वर्षाकाल में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक पूर्व तैयारी की जावे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)(312)पोषा/विविध/ICDS/2012/ 64431-660 जयपुर, दिनांक 17.5.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके अ.शा. पत्र क्रमांक–13/6/2016–सी.डी.–1, दि. 06.04.2016 के क्रम में।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. मुख्य कार्यकारी जिला परिषद, समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
8. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)